मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी महोदय

जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत चल रहे कार्यों के सम्बन्ध में दिनांक 22.12.2023 को आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नानुसार निर्देश दिये गये।

1– जल जीवन मिशन से सम्बन्धित हर घर जल कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद मऊ में निर्माणाधीन परियोजनाओं के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता जल निगम द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में कुल 658 ग्राम पंचायतें तथा 1452 राजस्व ग्राम है। जल निगम की पुरानी परियोजनाओं को छोड़कर फेज–2 एवं फेज–5 में कुल 532 परियोजनाओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। 532 परियोजनाओं में 590 ग्राम पंचायतें तथा 1318 राजस्व ग्राम आच्छादित हैं। 532 मे से 513 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान में 19 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया। मेसर्स एल.सी इन्फ्रा द्वितीय फेज में दो वर्ष पूर्व से कार्य कर रही है। सभी परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ न करना अत्यन्त आपत्तिजनक है। संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि भूमि विवाद के कारण कार्य प्रारम्भ करने में व्यवधान आ रहा है। अधिशासी अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि व्यक्तिगत रूप से रूचि लेकर दिसम्बर के अन्त तक प्रत्येक स्थान पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।

2– कार्यदायी संस्था मेसर्स एल.सी.इन्फ्रा को 219 परियोजनायें आवंटित है, जिसमें 486 राजस्व ग्राम समाहित है। सभी 219 परियोजनाओं की डीपीआर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन से स्वीकृत हो चुकी है। विवरण पत्र में 219 के सापेक्ष 215 परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। संस्था द्वारा 251 के सापेक्ष 240 बोरिंग की जा चुकी है, 11 बोरिंग अवशेष है। संस्था ने 251 पम्प हाउस के सापेक्ष 151 पम्प हाउस का निर्माण प्रारम्भ किया है। 151 में से मात्र 80 पम्प हाउस पूर्ण होना दर्शाया गया है। स्पष्ट है कि 251 में 171 पम्प हाउस ऐसे है जिसमें से 100 पर कार्य ही नही प्रारम्भ है तथा 71 पम्प हाउस निर्माणाधीन है। ओवर हेड टैंक की समीक्षा करने पर 225 ओवर हेड टैंक निर्मित किये जाने के सापेक्ष 190 ओवर हेड टैंक पर कार्य प्रारम्भ किया गया है तथा 35 ओवर हेड टैंक पर कार्य ही प्रारम्भ नही किया गया है। संस्था को 218 परियोजनाओं पर सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें से मात्र 76 परियोजनाओं पर सोलर प्लांट लगाया जाना दर्शाया गया है। 100 प्रतिशत हर घर जल वाले 166 राजस्व ग्राम मे से मात्र 13 राजस्व ग्राम सर्टिफाइड घोषित हो सके हैं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा बताया गया कि सर्टिफाइड घोषत होने के लिये ओवर हेड टैंक से रेगुलर जल आपूर्ति होना आवश्यक है। द्वितीय फेज में दो वर्ष पूर्व से कार्य प्रारम्भ करने के बावजूद 35 ओवर हेड टैंक पर कार्य प्रारम्भ न करना तथा मात्र दो ओवर हेड टैंक पूर्ण करना संस्था की शिथिलता तथा लापरवाही का परिचायक है। तकनीकी कार्मिकों, मैन पावर तथा संशाधनों की वृद्धि करते हुये मार्च 2024 तक लक्ष्य पूर्ण करने हेतु संस्था को कड़े रूप से निर्देशित किया गया।

3– कार्यदायी संस्था मेसर्स जी.ए.विश्वनाथ की समीक्षा की गयी। संस्था ने पॉचवे फेज में एक वर्ष पूर्व से कार्य प्रारम्भ किया है। संस्था को 200 परियोजनाओं को आवंटित करते हुये निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सभी परियोजनाओं की डीपीआर भी राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। 208 मे से 204 बोरिंग की जा चुकी हैं, 04 अवशेष हैं। विगत समीक्षा के बाद बोरिंग के कार्य में प्रगति नही हुयी है। 188 बोरिंग पूर्ण हो चुकी है। संस्था को 208 पम्प हाउस निर्माण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है जिसमें से 143 पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। अब तक 119 पम्प हाउस पूर्ण हो चुके हैं तथा 89 अवशेष है। संस्था को कुल 199 ओवर हेड टैंक निर्मित

Scanned with OKEN Scanner

करना था, जिसमें से 181 पर निर्माण चल रहा है। 18 ओवर हेड टैंक पर निर्माण प्रारम्भ नही है। सोलर प्लांट 197 के सापेक्ष 118 पूर्ण होना दर्शाया गया है। इसी प्रकार 513 राजस्व ग्राम में मात्र 38 ग्राम 100 प्रतिशत हर घर जल हो पाये है। हर घर जल सर्टिफाइड ग्राम की प्रगति शून्य है। संस्था को मार्च 2024 तक अधिक से अधिक ओवर हेड टैंक तैयार करने हेतु कड़े रूप से निर्देशित किया गया।

4. मेसर्स के.एल.एस.आर कार्यदायी संस्था को कुल 113 परियोजनायें पॉचवे फेज में आवंटित है। सभी 113 परियोजनाओं की डीपीआर राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा स्वीकृत हो चुकी है। संस्था द्वारा 115 बोरिंग के सापेक्ष 97 बोरिंग की गयी है जिसमें से 80 बोरिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। 18 स्थानों पर बोरिंग का कार्य प्रारम्भ नही हुआ। 115 पम्प हाउस के सापेक्ष मात्र 50 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ हो सका है। 50 मे से मात्र 15 पम्प हाउस पूर्ण हो सके है। 100 पम्प हाउस मे से 35 पर निर्माण कार्य गतिमान है तथा 65 पम्प हाउस पर कार्य प्रारम्भ ही नही किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। 113 ओवर हेड टैंक में 64 पर कार्य प्रारम्भ कया गया है तथा 49 ओवर हेड टैंक पर कार्य प्रारम्भ भी नही किया गया है। संस्था की घोर लापरवाही एवं उदासीनता परिलक्षित हो रही है। 113 सोलर प्लांट के सापेक्ष मात्र 15 स्थानों पर सोलर प्लांट लगाया जाना दर्शाया गया है, जो कार्य के शिथिलता का द्योतक है। 319 राजस्व ग्रामों में से मात्र 13 राजस्व ग्राम 100 प्रतिशत हर घर जल की श्रेणी में है तथा सर्टिफाइड की प्रगति शून्य है। तकनीकी कार्मिकों एवं मैन पावर तथा संशाधनों की वृद्धि करते हुये मार्च 2024 तक लक्ष्य की पूर्ति किये जाने हेतु संस्था को कड़े रूप से निर्देशित किया गया।

5– रोड रेस्टोरेशन के सम्बन्ध में समीक्षा करने के दौरान कार्यदायी संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक मार्गों/सड़कों को पूर्व की भॉति व्यवस्थित/निर्मित किये जाने की प्रगति बहुत खराब पायी गयी। पाईप लाइन वितरण के लिये कार्यदायी संस्थाओं द्वारा खड़ंजों/सड़कों तथा रास्तों की खुदायी की जाती है परन्तु पाईप लाइन डालने के बाद मिट्टी गिराकर छोड दिया जाता है। थर्ड पार्टी की निरीक्षण टिप्पणियों के बावजूद न तो अनुपालन किया जाता है न ही कम्प्लायन्स रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है। जिन रास्तों की खुदायी की जाती है व्यवस्थित होने तक सुरक्षा मानक के अनुसार चेतावनी बोर्ड भी नही लगाये जा रहे हैं। ग्राम प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा भी निरन्तर शिकायतें की जा रही है। कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश दिये गये कि कि रोड रेस्टोरेशन की प्रगति तत्काल बढ़ा ली जाय। अधिशासी अभियन्ता को भी नियमित पर्यवेक्षण किये जाने के लिये निर्देशित किया गया।

6– जल जीवन मिशन से सम्बन्धित निर्माणाधीन परियोजनाओं के निर्माण की गुणता की क्वालिटी को निर्धारित मानक के अनुरूप सुनिश्चित की जाय। थर्ड पार्टी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक निर्माण का सतत् निरीक्षण सुनिश्चित करें। अधिशासी अभियन्ता अपने विभागीय सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से निर्माण की निरीक्षण आख्या प्राप्त करते हुये कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे किसी प्रकार की दुर्घटना की सम्भावना न रहे। अधिशासी अभियन्ता एवं टीपाआई को निर्देशित किया गया कि मानक के अनुरूप निर्माण न पाये जाने पर निर्माण को तोडवाकर मानक के अनुरूप निर्माण सुनिश्चित किया जाय। घटिया निर्माण का अनुपालन के पश्चात भुगतान की प्रकिया पूर्ण की जाय।

7– इम्प्लीमेन्ट सपोर्ट एजेन्सीज (आईएसए) के कार्यों/गतिविधियों की समीक्षा के दौरान जिला समन्वयक डीपीएमयू द्वारा अवगत कराया गया कि जन–जागरूकता एवं स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सम्पादित किये जाने हेतु मऊ जनपद के लिये 04 संस्थायें सूचीबद्ध है। समाज कल्याण ग्रामोद्योग संस्थान को 05 क्लस्टर, अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति को 03 तीन क्लस्टर तथा जन कल्याण समिति को 04 क्लस्टर एवं सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट 03 क्लस्टर आवंटित किये गये है। परियोजनाओं से

Scanned with OKEN Scanner

सम्बन्धित कोई भी ग्राम पंचायत आवंटन हेतु अवशेष नही है। सभी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक क्लस्टर के प्रत्येक फेज में जो कार्य किया गया है उसकी प्रगति का विवरण निम्नतालिका में अंकित है–

क0सं0	आईएसए संस्था का नाम	क्लस्टर एवं फेज		निर्धारित अवधि	समय	विगत प्रगति	वर्तमान प्रगति
						15.11.2023	15.12.2023
1	समाज कल्याण ग्रोद्योग संस्थान प्रथम क्लस्टर 24.07.2021 से 23.07.2022	क्लस्टर I – फेज I	40 GP	24.07.21 से 23.10.21	3 माह	96.00%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	40 GP	24.07.21 से 23.04.22	6 माह	93.00%	93%
		क्लस्टर I – फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.				
	द्वितीय क्लस्टर 13.09.2022 से 12.09.2023	क्लस्टर II– फेज I	19 GP	13.09.22 से 12.12.22	3 माह	96.00%	96%
		क्लस्टर II– फेज II	39 GP	13.12.22 से 12.05.23	6 माह	93.00%	93%
		क्लस्टर II– फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.				
	तृतीय क्लस्टर 15.05.2023 से 14.05.2024	क्लस्टर III– फेज I	39 GP	15.02.23 से 14.05.23	3 माह	94.00%	95%
		क्लस्टर III– फेज II	39 GP	15.05.23 से 14.11.23	6 माह	91.00%	93%
	चतुर्थ क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर IV – फेज I	40 GP	14.06.23 से 13.09.23	3 माह	94.00%	94%
		क्लस्टर IV – फेज II	40 GP	14.06.23 से 13.03.24	6 माह	45.00%	71%
	पंचम क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर V – फेज I	40 GP	14.06.23 से 13.09.23	3 माह	93.00%	93%
		क्लस्टर V – फेज II	40 GP	14.09.23 से 13.03.24	6 माह	37.00%	72%
2	अभिनव बाल एवं ग्रामोत्थान समिति प्रथम क्लस्टर 05.08.2021 से 04.08.2022	क्लस्टर I – फेज I	40 GP	05.08.21 से 04.11.21	3 माह	96.00%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	40 GP	05.11.21 से 04.05.22	6 माह	92.00%	92%
		क्लस्टर I – फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.				
	द्वितीय क्लस्टर 13.09.2022 से 12.09.2023	क्लस्टर II– फेज I	19 GP	13.09.22 से 12.12.22	3 माह	95.00%	95%
		क्लस्टर II– फेज II	29 GP	14.12.22 से 13.06.23	6 माह	93.00%	93%
		क्लस्टर II–फेज III	Request for Proposal – Implementation Phase will start after commissioning of schemes.				
	तृतीय क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर III– फेज I	15 GP	14.06.23 से 13.09.23	3 माह	95.00%	95%
		क्लस्टर III– फेज II	15 GP	14.09.23 से 13.03.24	6 माह	57.00%	57%
क0सं0	आईएसए संस्था का नाम	क्लस्टर एवं फेज		निर्धारित अवधि	समय	वर्तमान प्रगति	विगत प्रगति
						15.08.2023	30.09.2023
3	जन कल्याण समिति प्रथम क्लस्टर 14.12.2022 से 13.12.23	क्लस्टर I– फेज I	34 GP	14.12.22 से 13.03.23	3 माह	96.00%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	34 GP	14.03.23 से 15.09.23	6 माह	94.00%	94%
	द्वितीय क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर II – फेज I	40 GP	15.06.23 से 14.09.23	3 माह	96.00%	96%
		क्लस्टर II – फेज II	40 GP	15.09.23 से 14.03.24	6 माह	19.00%	55%
	तृतीय क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर III – फेज I	40 GP	15.06.23 से 14.09.23	3 माह	94.00%	96%
		क्लस्टर III – फेज II	40 GP	15.09.23 से 14.03.24	6 माह	19.00%	58%
	चतुर्थ क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर IV – फेज I	40 GP	15.06.23 से 14.09.23	3 माह	91.00%	95%
		क्लस्टर IV – फेज II	40 GP	15.09.23 से 14.03.24	6 माह	18.00%	59%
4	सोशल रिसर्च इन्स्टीट्यूट प्रथम क्लस्टर 08.02.2023 से 07.02.2024	क्लस्टर I – फेज I	38 GP	08.02.23 से 07.05.23	3 माह	96.00%	96%
		क्लस्टर I – फेज II	38 GP	08.05.23 से 07.11.23	6 माह	90.00%	92%
	द्वितीय क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर II – फेज I	40 GP	14.06.23 से 13.09.23	3 माह	91.00%	91%
		क्लस्टर II – फेज II	40 GP	14.09.23 से 13.03.24	6 माह	30.00%	32%
	तृतीय क्लस्टर 14.06.2023 से 13.06.2024	क्लस्टर III – फेज I	40 GP	14.06.23 से 13.09.23	3 माह	89.00%	91%
		क्लस्टर III – फेज II	40 GP	14.09.23 से 13.03.24	6 माह	31.00%	32%

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि 15.11.2023 से 15.12.2023 के मध्य आईएसए संस्थाओं द्वारा प्रगति की गयी है परन्तु अपेक्षा के अनुरूप कम है। जिला समन्वयक डीपीएमयू एवं संस्था के उपस्थित प्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया कि विगत एक माह से विकसित भारत संकल्प यात्रा 12 से 14 ग्रामों मे प्रतिदिन आयोजित है जिसके कारण प्रगति थोडा कम हुयी है। आगामी अवधि में प्रगति मे सुधार कर लिया जायेगा। द्वितीय क्लस्टर के लिये 13 मार्च 2024 तक का समय है उक्त अवधि में निर्धारित गतिविधियों को पूर्ण कर लिया जाय।

उपरोक्तानुसार बैठक का कार्यवृत्त तैयार कर महोदय के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है। कृपया बैठक कार्यवृत्त अनुमोदन करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता
खण्ड कार्यालय
उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण)
मऊ।

28/12/23
मुख्य विकास अधिकारी
मऊ

30 dec 23
जिलाधिकारी
मऊ

Scanned with OKEN Scanner